

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापाक-5पुरा/वि.1-37/2013...131/

पटना दिनांक

05/7/16

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- गया जिला के बेलागंज प्रखंड अन्तर्गत मौजा मेन में अवस्थित प्राचीन मंदिर कोटेश्वर धाम से प्राचीन पीपल वृक्ष तक एवं पीपल वृक्ष के चारो तरफ समग्र विकास हेतु 2.145 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित्त अतिरिक्त राशि ₹ 24,65,304/- (चौबीस लाख पैसठ हजार तीन सौ चार रुपये) मात्र के व्यय के स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन योजना बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-103-पुरातत्व विज्ञान-0101-पुरातत्व निदेशालय-2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत" विपत्र कोड पी0-2205001030101 मांग संख्या-8 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में होगा।
- राशि की निकासी, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा गया कोषागार, गया से की जायेगी एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96/वि. (2) दिनांक 03.01.2008 के आलोक में स्वीकृति के प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-413, दिनांक 18.11.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को ₹ 78,47,000/- (अठहत्तर लाख सैंतालिस हजार रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(तारानन्द महतो वियोगी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक...131

दिनांक...05/7/16

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, गया कोषागार गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तारानन्द महतो वियोगी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक...131

दिनांक...05/7/16

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित प्रेषित।

- अनुरोध है कि राशि के खर्च के उपरान्त समायोजन हेतु महालेखाकार, बिहार को विस्तृत विपत्र समर्पित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही विभाग को कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।

(तारानन्द महतो वियोगी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक...131

दिनांक...05/7/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 5/बजट सहायक/लेखापाल, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(तारानन्द महतो वियोगी),
सरकार के उप सचिव।